

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उत्तम भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत अवधि के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्काव डिडबी केवल अलास्कीय प्रयोजनाधि

कारुलय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 652 दिनांक 04/08/2020

प्रार्थी हनुश्याम चौहान डा/0 श्री किशन लाल चौहान

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No = 16/279 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय पौषणदी

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश श्री अमिता लाल

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8348/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/177, 178

दिनांक 04/08/2020 को जमा करा दी है ।

04/08/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

जी+/
आवासीय

6377880131